न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 97/2021 (GCMS No. 2021/102) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. चरण आयु 74 साल
2. पून्या आयु 65 साल

} पिसरान श्री कन्हैया जाति गूजर निवासीयान फिरोजपुर तहसील मण्डरायल जिला करौली।

.....अपीलांटस

बनाम

1. जगदीश
2. रामचरण
3. मोतीराम

} पुत्रान गंगाधर

4. रामपति
5. भगवती
6. छोटीबाई
7. रामगिलासी
8. गुड्डी

} पुत्रीयान गंगाधर

} जाति काछीयान (मालियान) निवासीयान फिरोजपुर तहसील मण्डरायल जिला करौली।

9. तहसीलदार तहसील मण्डरायल जिला करौली (राजस्थान)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर. एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 26.08.2021 न्यायालय जिला कलक्टर करौली प्रकरण संख्या 68/2019 उनवानी चरण आदि बनाम जगदीश आदि।

उपस्थितिः—

1. अपीलांटस की ओर से श्री हनुमान प्रसाद गोयल, वकील
2. रेस्पोडेन्टस की ओर से श्री राजेश कुमार सोगरवाल वकील

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नि र्ण य दिनांक : 27.10.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 26.08.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार मण्डरायल द्वारा आराजी खसरा नम्बर 15/2 वांके ग्राम फिरोजपुर की तरमीम को रेस्पोडेन्टस के हक में स्वीकृत किया गया। जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी खसरा नम्बर 15 रकवा 10 बीघा 5 विस्वा वांके ग्राम फिरोजपुर में से दुरूस्त करने 1 बीघा 5 विस्वा और इसी में से 15/2 कायम कर तरमीम करने बावत् प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. को मंजूर कर हमारी अपील को खारिज किया गया है। भू राजस्व अधिनियम में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तहसीलदार मण्डरायल ने अपीलांटस को बिना सुने आराजी ख.नं. 15 रकवा 2.10 हैक्टेयर के 2 नम्बर तरमीम कर 15/1 अपीलांटस के नाम एवं 15/2 रेस्पोडेन्टस के नाम कर दिया। अपीलांटस द्वरा दिनांक 22.07.2019 को तहसीलदार मण्डरायल द्वारा हल्का पटवारी को रिपोर्ट करने हेतु भेजा तो पटवारी हल्का ने तरमीम का राजस्व नक्शे में गिरदावर द्वारा तरमीम के आदेश का अंकन एवं हस्ताक्षर नहीं है, के मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2019 को अपीलांटस को लौटा दिया। जिसकी अपील जिला कलक्टर करौली के न्यायालय में पेश की। जिला कलक्टर करौली द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2021 से अपीलांटस की अपील खारिज की। जिनके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है जो अपील स्वीकार फरमायी जावे और अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.08.2021 को खारिज कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस नं. 1 लगायत 3 की ओर से पैरवी हेतु श्री मनोज कुमार खरैरा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पो. 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता हाजिर अदालत आये तथा रेस्पोडेन्टस नं. 4 लगायत 8 बावजूद पर्याप्त तामील/सूचना उपस्थित नहीं हुए। इसके पश्चात रेस्पोडेन्टस नं. 1 लगायत 8 की पैरवी हेतु श्री विष्णुचन्द बंसल एडवोकेट, श्रीमती शशि बंसल एडवोकेट एवं राजेश कुमार सोगरवाल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया।
3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को अपील पर सुना गया।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपने अपील मीमो व प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पत्रावली की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए दलील दी कि हमने यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर करौली के निर्णय दिनांक 26.08.2021 के विरूद्व पेश की है। जिसमें प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

को मंजूर कर हमारी अपील को खारिज किया गया है। भू राजस्व अधिनियम में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तहसीलदार मण्डरायल ने अपीलांटस को बिना सुने आराजी ख.नं. 15 रकवा 2.10 हैक्टेयर के 2 नम्बर तरमीम कर 15/1 अपीलांटस के नाम एवं 15/2 रेस्पोडेन्टस के नाम कर दिया। अपीलांटस द्वारा दिनांक 22.07.2019 को तहसीलदार मण्डरायल द्वारा हल्का पटवारी को रिपोर्ट करने हेतु भेजा तो पटवारी हल्का ने तरमीम का राजस्व नक्शे में गिरदावर द्वारा तरमीम के आदेश का अंकन एवं हस्ताक्षर नहीं है, के मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2019 को अपीलांटस को लौटा दिया जिसकी अपील अपीलांटस द्वारा जिला कलक्टर करौली के न्यायालय में दिनांक 30.10.2019 को पेश की थी। अपील दिनांक 9.10.2019 प्रार्थना पत्र लौटाने के दिवस से अन्दर मयाद थी। इस कारण कोई भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम पेश करना आवश्यक नहीं था। रेस्पोडेन्टस द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसको न्यायालय जिला कलक्टर करौली ने एल.आर.एक्ट के तहत दायर की गई अपील में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. को लागू मानकर हमारी अपील को खारिज कर दिया। जो आदेश कानून के विपरीत है और इस संबंध में आरआरडी 1992 पेज 99, आरबीजे 2011 पेज 236, आरबीजे 2008 पेज 639 उद्धृत कर तर्क दिया कि एल.आर.एक्ट में सी.पी.सी. लागू नहीं होती है। तहसीलदार मण्डरायल को आराजीयात में तरमीम करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का नोटिस देकर सुनवाई किया जाना आवश्यक था तथा जो नकल मांगी गई उसको लौटा दिया। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2006 पेज 520 भी प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर करौली द्वारा पारित आदेश विधिवत नहीं है क्योंकि एल.आर.एक्ट में की गई कार्यवाही पर सी.पी.सी. लागू नहीं होती है। सी.पी.सी. के जो प्रावधान है वह धारा 208 आर.टी.एक्ट में ही यथासंभव लागू होते हैं और आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी. में जो 6 प्रावधान है उनमें भी वर्तमान प्रकरण अपीलांट का नहीं आता है। इस प्रकार अपीलांटस ने जो अपील दिनांक 21.10.2019 को पेश की उसमें मयाद का प्रश्न लागू ही नहीं था। इस प्रकार हमारी अपील स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार द्वारा जो तरमीम कर आ.ख.नं. 15/2 बनाया है उसे निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांटस द्वारा दी गई दलीलों का पुरजोर खण्डन करते हुये दलील दी कि अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो अपील पेश की है वह आदेश 20 वर्ष पुराना है जो अपीलांटस की जानकारी में था। इस संबंध में नियमित वाद भी चल रहे हैं जिनमें नम्बर को अपीलांटस ने रेस्पोडेन्टस का मान लिया है। इनके द्वारा तरमीम होने

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

के बाद भी दावा पेश किया गया। दावे में अपीलांटस का काउंटर क्लेम खारिज हुआ है और उसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटस द्वारा न तो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा 5 मयाद अधिनियम और न ही कोई शपथ पत्र पेश किया है। इनकी अपील 20 वर्ष बाद पेश होने से संधारणीय नहीं है जो विधि द्वारा वर्जित है। अपीलांटस ने मैन ऑर्डर को तो चैलेन्ज किया नहीं और तरमीम के खिलाफ अपील की। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय की नजीरें आदेश 22 नियम 3 व 4 पर लागू है और जो आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर लागू नहीं होती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज फरमायी जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। माननीय न्यायालय के प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया।

7. अपीलाधीन आदेश न्यायालय जिला कलक्टर करौली दनांक 26.08.2021 का अवलोकन करने पर इसमें अंकित पाया है कि– अपीलांटस को ख.नं. 15/2 की तरमीम की जानकारी 28.09.2016 से होना स्वीकृत थी इसके बाद भी अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश नहीं किये गये थे। इस प्रकार अपील जानकारी होने के दिन से लगभग 3 वर्ष बाद मयाद बाहर पेश की गई थी। ऐसे में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि अपीलांटस को तरमीम आदेश की वखूबी जानकारी थी जैसाकि अपीलांटस द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर मण्डरायल के यहां रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत दावा में 3.8.2016 को वकालतनामा पेश किया गया तथा उसके बाद 28.9.2016 को दावे का जबाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया था। माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों से भी मार्गदर्शन मिलता है कि–

(।) एल.आर.एक्ट की धारा 75 व 76 के तहत पेश होने वाली अपीलों में सी.पी.सी. के आदेश 22 नियम 3, 4 व 9 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(।।) जहां भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विशेष विधियां/प्रावधान बने हुए हो तो एल.आर.एक्ट 1956 के तहत पेश होने वाली ऐसी अपील, रिवीजन, रेफ्रेन्स, रिव्यू और प्रोसिडिंग पर सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होंगे। और जहां ऐसे विशेष विधियां/प्रावधान नहीं बने हुए हों तो उस मामले में सी.पी.सी. के प्रावधान लागू होंगे। साथ ही एल.आर.एक्ट 1956 से व्यवहृत होने वाले गैर–न्यायिक मामलों पर भी सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील सी.पी.सी. के आदेश 22 नियम 3, 4 व 9 के प्रावधानो के संबंध में नहीं है जिससे उस पर सी.पी.

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सी. के शेष प्रावधान स्वतः ही लागू हो जाते हैं। इसी प्रकार वृहत पीठ के निर्णय से भी स्पष्ट हो जाता है कि इस संबंध में एल.आर.एक्ट के तहत कोई विशेष विधियां/कानून/नियम पृथक से नहीं होने के कारण यहां पर सी.पी.सी. के प्रावधान लागू होंगे। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर निर्णय करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य हम नहीं समझते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के मध्येजनर अपीलांटस की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

8. फलस्वरूप अपीलांटस की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.08.2021 यथावत रखा जाता है। अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 27.10.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर